राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांकः 5.2.09 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) के तहत गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें निम्न मंत्रीगण (प्राधिकरण के सदस्य) उपस्थित थेः–

1. श्री ए.ए. दुर्रूमियां, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
2. श्री महिपाल मदेरणा, मंत्री, जल संसाधन, आई.जी.एन.पी.,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू–जल विभाग, सी.ए.डी ।

उक्त बैठक में निम्न अधिकारीगण भी विशेष आमन्त्रित के रूप में उपस्थित थेः:–

1. श्री राकेश हूजा, अति. मुख्य सचिव (विकास/ प्रशिक्षण)
2. श्री टी. श्रीनिवासन, प्रमुख सचिव–मुख्यमंत्री
3. श्री सी.के. मैथ्यू, शासन प्रमुख सचिव– वित्त विभाग
4. श्री राम लुभाया, शासन प्रमुख सचिव– जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
5. श्री जी.एस. संधु,, शासन प्रमुख सचिव–नगरीय विकास विभाग
6. श्री एस.एन.थानवी, शासन प्रमुख सचिव–गृह विभाग
7. श्री आशीष बहुगुणा, शासन प्रमुख सचिव–कृषि विभाग
8. श्री आर.के. मीणा,शासन प्रमुख सचिव–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
9. श्री जी.एस. संधु, शासन प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग
10. श्री ओ.पी. सैनी, शासन प्रमुख सचिव–पशुपालन विभाग
11. श्री तन्मय कुमार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन तथा सहायता विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी व संचार विभाग
12. सुश्री मंजु राजपाल, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना

बैठक में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) ने पूर्व में विस्तृत एजेण्डा नोट पर आधारित संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। बैठक में संवत् 2065 के अभाव की स्थिति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. खरीफ संवत् 2065 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर आज की बैठक से संबंधित ऐजेंडा नोट के परिशिष्ट '2' में वर्णित 12 जिलों (अजमेर, बाडमेर,

भीलवाडा, बीकानेर, डूँगरपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही) के प्रभावित 7372 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया, जहाँ खराबा 50 प्रतिशत से अधिक पाया गया। यह अधिसूचना सूखा प्रबन्धन संहिता अध्याय 4 के बिंदु संख्या 5 के तहत, राज्य सरकार में निहित शक्तियों के अधीन एवं राजस्थान अफेक्टेड ऐरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 5 से 10 के प्रावधान के तहत ऐसे ग्रामों में भू–राजस्व वसूली का स्थगन तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया। राहत कार्यों का संचालन आपदा प्रबन्धन संहिता तथा समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2. माह फरवरी 2009 के लिए राहत कार्यों से संबंधित श्रमिक सीमा निम्नानुसार अनुमोदित की गयी :–

क्र.सं.	जिले का नाम	श्रमिक सीमा
1.	अजमेर	2000
2.	बाडमेर	7000
3.	भीलवाडा	5000
4.	बीकानेर	3000
5.	डूंगरपुर	17000
6.	जैसलमेर	3000
7.	जालौर	2000
8.	जोधपुर	14000
9.	नागौर	1500
10	पाली	2000
11.	राजसमंद	2500
12.	सिरोही	1000
	कुल योग	**60000**

उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रमिक सीमा के अन्तर्गत श्रमिकों का नियोजन निम्न ों के अध्यधीन होगा :–

सी0 आर0 एफ0 नार्म्स के मद 6 के अनुसार नरेगा योजना में इस वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार सीमा का उपयोग कर चुके पात्र परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को माह में 10 दिवस का रोजगार दिया जायेगा।

ब अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगाये जाने वाले श्रमिकों का नियोजन एवं संचालन राहत कार्य निर्देशिका में दर्शायी गई प्राथमिकता व विभागीय दिशा–निर्देशानुसार होगा।

स. सहायता विभाग के तहत प्रदत्त श्रमिक सीमा के अन्तर्गत उन कार्यो को प्राथमिकता से लिया जायेगा जिन्हें दिनांक 31.3.2009 तक पूर्ण किया जा सके अथवा जिन्हें 1.4.2009 के पश्चात नरेगा अथवा अन्य विभागीय योजना के तहत पूर्ण कराया जा सके।

द सी.आर.एफ. से सामग्री मद के पेटे कोई राशि देय नहीं होगी। केवल श्रमिक मजदूरी का भुगतान देय होगा। श्रमिकों को नकद भुगतान की प्रक्रिया वही होगी, जो नरेगा योजना में हैं।

3. पशु–संरक्षण के तहत चारा डिपो, पशु शिविर, पशु आहार अनुदान, पशुओं हेतु दवाईयों एवं गौशालाओं के संबंध में अभावग्रस्त जिलों हेतु निम्न निर्णय लिये गये:–

(1) गौशालाओं में वर्तमान में संधारित किये जाने वाली पशु संख्या को आधार मानते हुए अकाल की स्थिति के कारण गौशालाओं में आ रहे अतिरिक्त गौवंश के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा सक्षम स्तर पर कराई गई जॉच के आधार पर प्रेषित रिपोर्ट पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत किये जा सकेंगे। यह अनुदान केवल अकाल की स्थिति के कारण अतिरिक्त आने वाले गौवंश के लिए केवल अभावग्रस्त घोषित गॉवों में ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) उपरोक्तानुसार गौशालाओं के अनुदान 1 मार्च, 2009 से अनुदान स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि सी0 आर0 एफ0 नार्म्स के अनुसार 20 रूपये प्रतिपशु प्रतिदिवस तथा 10 रूपये छोटेपशु प्रतिदिवस दी जायेगी।

(3) 15 मार्च, 2009 से अभावग्रस्त जिलों हेतु चारा डिपो, पशुशिविर , पशु –आहार अनुदान, एवं पशुओं के लिए दवाईयॉ दिये जाने की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

(4) अभावग्रस्त गॉवों में संचालित पशुशिविरों में रखे जाने वाले बडे पशुओं को 20 रूपये प्रतिपशु प्रतिदिवस तथा 10 रूपये छोटेपशु प्रतिदिवस सी0 आर0 एफ0 नार्म्स के अनुसार स्वीकृत की जायेगी।

(5) अभावग्रस्त गॉवों मे पशु–आहार अनुदान 4 रूपये प्रति किलोग्राम (अधिकतम 2 किलोग्राम प्रतिपशु प्रतिदिन) स्वीकृत किया जायेगा।

(6) अभावग्रस्त जिलों हेतु चारा डिपो को संचालित करने वाली संस्था को पूर्व निर्धारित शर्तो के अध्यधीन कार्यशील पूँजी के रूप में प्रतिचारा डिपो 50,000 रूपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।

4 पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(1) पूर्व में लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुरूप अभावग्रस्त जिले के 25 प्रतिशत या इससे अधिक ग्राम के अभावग्रस्त होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिले में पेयजल परिवहन सी0 आर0 एफ0 के तहत वहन करने की अनुमति प्रदान की गई तथा अन्य अभावग्रस्त जिलों में जहॉ पर 25 प्रतिशत से कम ग्राम अभावग्रस्त हैं वहॉ केवल अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल परिवहन की अनुमति प्रदान की गई।

(2) अभावग्रस्त जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में आपातकालीन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 20 श्रमिक 31 मार्च, 2009 तक के लिए जिलेवार निर्धारित श्रमिक सीमा के अन्तर्गत तथा 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जिला कलेक्टर की मांग के अनुसार अभाव अवधि तक पृथक से उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई।

5 भविष्य में अभावग्रस्त जिलों हेतु श्रमिक सीमा के संशोधन एवं निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य क्रियान्वयन समिति की अनुशंषा पर माननीय मुख्यमन्त्री के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

6 अभावग्रस्त ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को अभाव घोषणा तिथि से सी0 आर0 एफ0 में निर्धारित मापदण्डानुसार अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जो वृद्ध, अपंग एवं असहाय व्यक्ति तथा निराश्रित बच्चों के लिए 20 रूपये प्रति वयस्क तथा 15 रूपये प्रति बच्चे प्रतिदिन की दर से देय होगा।

7 राहत कार्यो से सम्बन्धित शेष बिन्दू सहायता निर्देशिका के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों से शासित होंगे।

8 बैठक के सभी निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन कार्यकारी समिति एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकों में किया जावेगा, जहॉ इस बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी सभी आवश्यक निर्णय लिये जावेंगे।

9 राहत कार्यो की प्रगति की समीक्षा संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर प्रभारी मन्त्री, प्रभारी सचिव एवं जिला कलेक्टर एवं पंचायत समिति स्तर पर निरन्तर की जावेगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

4/2/09

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव